सन्तोष देवी आदि — काशीराम आदि प्र.सं. 171/16

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.6.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। रेस्प. 2, 16 व 3 को नोटिस तामील हेतु भिजवाये गये थे। जो कि ना तो मूल आये न ही बाद तामील होकर आये। व्यवहित के रेस्प. 2, 16 व 3 की तामील मानी जाती है। वास्ते बहस दिनांक 3.7.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3.7.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वकील अपीलांट ने बहस हेतु समय चाहा। वास्ते बहस दिनांक 31.7.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
31.7.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वास्ते बहस दिनांक 14.8.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14.8.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.8.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23.8.24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 171/2016

1 सन्तोष देवी पुत्री स्व. श्री सत्यनारायण पत्नी सांवरमल जाति नागवान ब्राह्मण हाल निवासी चांदपोल गेट के बाहर सीकर जिला सीकर।

2 मीना देवी पुत्री स्व. श्री सत्यनारायण पत्नी कृष्ण कुमार जाति नागवान ब्राह्मण निवासी हाल ए–10 विवेकानन्द कॉलोनी नया खेड़ा अम्बाबाड़ी जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

1 काशी प्रसाद (मृत)

1/1 किशन पुत्र काशीप्रसाद

1/2 पुष्पा पुत्री काशीप्रसाद

1/3 निर्मलर पत्नी काशीप्रसाद

जाति नागवान निवासीगण मिश्रो की गली, डाकणिया मंदिर के पास लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

2 राजेश कुमार पुत्र सुशील कुमार जाजोदिया जाति महाजन निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

3 रामनिवास पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी डालमास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

4 अनूप जोशी पुत्र दामोदर प्रसाद जोशी जाति जोशी निवासी सीकर।

5 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

6 सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

7 राजकुमार पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण जाति नागवान ब्राह्मण निवासी रेलवे स्टेशन के पास, लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

8 रविकान्त पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण जाति नागवान ब्राह्मण निवासी रेलवे स्टेशन के पास, लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

9 राम पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण जाति नागवान ब्राह्मण निवासी रेलवे स्टेशन के पास, लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

10 लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण जाति नागवान ब्राह्मण निवासी रेलवे स्टेशन के पास, लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

11 प्रेमलता बेवा स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति नागवान ब्राह्मण हाल निवास प्लाट नम्बर 56 जे.डी.ए. कॉलोनी बिंदायका सिरसी रोड़ जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

12 पवन पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति नागवान ब्राह्मण हाल निवास प्लाट नम्बर 56 जे.डी.ए. कॉलोनी बिंदायका सिरसी रोड़ जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

13 गोवर्धन पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति नागवान ब्राह्मण हाल निवास प्लाट नम्बर 56 जे.डी.ए. कॉलोनी बिंदायका सिरसी रोड़ जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

14 ज्योति पुत्री स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति नागवान ब्राह्मण हाल निवास प्लाट नम्बर 56 जे.डी.ए. कॉलोनी बिंदायका सिरसी रोड़ जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

15 सुमन पुत्री स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति नागवान ब्राह्मण हाल निवास प्लाट नम्बर 56 जे.डी.ए. कॉलोनी बिंदायका सिरसी रोड़ जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

16 वंदना पुत्री स्व. श्री महेन्द्र कुमार जाति नागवान ब्राह्मण हाल निवास प्लाट नम्बर 56 जे.डी.ए. कॉलोनी बिंदायका सिरसी रोड़ जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 08.09.2016
बमुकदमा संतोषदेवी आदि बनाम काशीप्रसाद आदि
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ मु.नं.
36/2015 पीठासीन अधिकारी सन्तोष कुमार
मीणा आरएएस अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री फूलचन्द थालौड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद कुमार मोदी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 36/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादियागण/अपीलान्टस ने एक वाद घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 152, 539/2 वाके ग्राम लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है और कृषि भूमियां पैतृक है जो अपीलान्टस के दादाजी जगन्नाथ पुत्र रामप्रताप की खातेदारी की थी, जिसके दो पुत्र सत्यनारायण व काशीप्रसाद हुए। काशीप्रसाद बचपन में अपने चाचा कन्हैयालाल के गोद चला गया। गोदनामा रजिस्टर्ड है इसलिए अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 16 का अपने दादा जगन्नाथ के हक, हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में हिस्सा होने के कारण अपीलान्टस/वादीगण ने विचारण न्यायालय में अपने अधिकारों की उद्घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे सुनाई का अधिकार केवल मात्र विचारण न्यायालय को है, लेकिन विचारण न्यायालय ने केवल कयास के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया है। विचारण न्यायालयय द्वारा अपीलाधीन वाद इस निष्कर्ष के साथ खारिज किये जाने में गम्भीर त्रुटि की गई है कि वादीगण द्वारा यह वाद विचारण न्यायालय में पेश किया गया है जो वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण खारिज योग्य है जबकि वाद पत्र के अवलोकन से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि अपीलान्टस को अपीलाधीन वाद पत्र प्रस्तुत करने का पूर्णतया वाद कारण हासिल है, जिसका उल्लेख वाद पत्र की मद संख्या 11 में किया हुआ है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत होने के बाद विचारण न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश होना चाहिए था, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं हुआ है, इस प्रकार विचारण न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधानों के आनुसार न तो जवाब दावा प्रस्तुत हुआ है तथा ना ही तामील हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद इस निष्कर्ष के साथ खारिज किये जाने में गंभीर कानूनी भूल की गई है कि राजस्व वाद पत्र 50/2013 बउनवानी राजेश कुमार बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

राजकुमार आदि में दिनांक 03.10.2013 को अंतिम डिक्री हो चुकी है तथा उक्त निर्णय की अनुपालना में जमाबंदी सम्वत 2060 से 63 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ़ में गायत्री देवी पत्नी स्व. सत्यनारायण, महेन्द्र, राजकुमार, रविकान्त, राम, लक्ष्मण, पुत्रगण सत्यनारायण, विमला, मीना, संतोष पुत्रियां सत्यनारायण जाति ब्राह्मण साकिन देह हिस्सा व खसरा नम्बर 539/2/1 रकबा 0.98 हैक्टेयर हिस्से में आई है, जिसकी अपील/निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 19.11.2014 द्वारा की गई, जिसमें स्थगन दिनांक 02.12.2014 को खारिज हो चुका है जबकि वाद संख्या 50/2013 में अपीलान्टस को किसी तरह की सूचना का अवसर नहीं मिला, जिस कारण अपीलान्टस वाद का निर्णय व डिक्री से प्रतिबंधित नहीं है। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया है जबकि कानूनन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत वाद खारिज नहीं किया जा सकता और अपने निर्णय में वाद पत्र खारिज किये जाने का वाद कारण उत्पन्न न होने का कथन किया गया है कि प्रस्तुत दावा विधि द्वारा वर्जित था या नहीं, इसलिए निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन में अंकित तथ्यों से सहमत है कि विचारण वाद की धारा 9 जिसमें वादियागण ने स्वयं स्वीकार किया है कि वादियागण को साक्ष्य सबूत का मौका दिये बिना एकतरफा में विभाजन करवा लिया एवं राजस्व वाद 50/2013 उनवानी राजेश कुमार बनाम राजकुमार आदि में दिनांक 03.10.2013 को अंतिम डिक्री हो चुकी है तथा उक्त निर्णय की अनुपालना में जमाबन्दी संवत 2060–63 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ़ में गायत्री देवी पत्नी स्व. सत्यनारायण, महेन्द्र कुमार, राजकुमार, रविकांत, रामलक्ष्मण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पुत्रगण सत्यनारायण, विमला, मीना, संतोष पुत्रियां सत्यानारायण जाति ब्राह्मण सा. देह हि.ब. खसरा नम्बर 539/2/1 रकबा 0.98 हैक्टेयर हिस्से में आई है जिसकी अपील/निगरानी माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर में निर्णय 19.11.2014 द्वारा की गई जिसमें स्थगन 02.12.2014 को खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में बिना वाद कारण वादियागण द्वारा यह दावा न्यायालय हाजा में पेश किया गया है जो वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय ने विधिक तथ्यों का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलांट का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वाद की धारा 9 जिसमें वादियागण ने स्वयं स्वीकार किया है कि वादियागण को साक्ष्य सबूत का मौका दिये बिना एकतरफा में विभाजन करवा लिया एवं राजस्व वाद 50/2013 उनवानी राजेश कुमार बनाम राजकुमार आदि में दिनांक 03.10.2013 को अंतिम डिक्री हो चुकी है तथा उक्त निर्णय की अनुपालना में जमाबन्दी संवत 2060–63 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ़ में गायत्री देवी पत्नी स्व. सत्यनारायण, महेन्द्र कुमार, राजकुमार, रविकांत, रामलक्ष्मण पुत्रगण सत्यनारायण, विमला, मीना, संतोष पुत्रियां सत्यानारायण जाति ब्राह्मण सा. देह हि.ब. खसरा नम्बर 539/2/1 रकबा 0.98 हैक्टेयर हिस्से में आई है जिसकी अपील/निगरानी माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर में निर्णय 19.11.2014 द्वारा की गई जिसमें स्थगन 02.12.2014 को खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में बिना वाद कारण वादियागण द्वारा यह दावा न्यायालय हाजा में पेश किया गया है जो वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधिक तथ्यों का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलांट का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर